

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

किशनलाल

बनाम

कैलाशचन्द

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

268
2026

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 13/05/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

13/05/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी ने पूर्व में ही अपनी लिखित बहस को उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजव की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/05/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

15/05/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/12/2025 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को ग्राम नौन्दपुरा, पटवार हल्का राघेरी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.1900 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्यनजर रखते हुये मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/03/2026 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्घरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	किशनलाल बनाम कैलाशचन्द हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>268 2026</p> <p>विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है। सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित प्रतीत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/03/2026 यथावत रखे जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर</p>	